उद्यान निदेशालय, बिहार
(राज्य बागवानी मिशन)

बैरक संख्या - 13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना-800015, फोन नं० + फैक्स : 0612-2215215, E-mail : dir-bhds-bih@nic.in

पत्र संख्या – NHM / BHDS / 201/ 2011- 1089. /NHM, पटना, दिनांकः 13. सितम्बर, 2012

प्रेषक,

डा० एन विजय लक्ष्मी, भा०प्र०से०
मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार।

सेवा में,

जिला उद्यान पदाधिकारी (सभी)

विषय : **राज्य बागबानी मिशन अन्तर्गत जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य हेतु प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" के आलोक में संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के संबंध में।**

प्रसंग : **दिनांक 12.09.2012 को सम्पन्न मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यवाही के क्रम में सूचित करना है कि राज्य बागबानी मिशन अन्तर्गत जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध करने हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में कर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। प्राप्त कुल 16 प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया। तकनिकी मानदण्डों पर उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं का तकनिकी मूल्यांकन के पश्चात मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न प्रकार जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य हेतु संस्थाओं को पैनलबद्ध किया जाता है :–

क्रमांक	फर्म का नाम
1.	Neramac Ltd., 9 Rajbari Path, Guwahti, Assam
2.	International Panaacea Ltd. E-34, 2nd Floor Cannought circus New Delhi
3.	SIMFED Sonam Gyasto Marg. Gangtok, Sikkim
4.	Aryan International, F-58, Radhey Mohar Drive Jonapur, New Delhi.
5	Eccocert India Pvt. Ltd., Walmi- waluj road Aurangabad, Maharastra.
6	Sheel Biotech Ltd., RZ 2705/30, Sheel house, Tuglakabad, New Delhi.
7	Natural Organic Certification Association , 1st Floor, Karan Plaza-II Near Rosary School, Mumbai Banglore Highway- Pune- 411058
8	International Tracebility Systems Ltd. C-130, Lajpat Nagar-1 , New Delhi

2. जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत निर्धारित Cost Norms के अधीन कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश में स्पष्ट रूप से कार्य क्षेत्र एवं कार्यपूर्ण होने की तिथि अंकित किया जायेगा।
3. जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम पर पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन हेतु कम से कम तीन एजेंसियों को आमंत्रित किया जायेगा तत्पश्चात पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के फलाफल के आधार पर कार्यादेश निर्गत किया जा सकेगा।
4. सूचीबद्ध किसी भी कम्पनी के माध्यम से जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है। किन्तु इस हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी तथा संबंधित संस्था के बीच एग्रीमेंट सम्पादित किया जायेगा।
5. जैविक अंगीकरण एवं सत्यापन कार्य की प्रगति की सूचना आवश्यक रुप से प्रत्येक माह में दी जायेगी तथा कार्य की प्रगति के आधार पर निम्न प्रकार राशि की विमुक्ति की जा सकेगी।

i. जैविक अंगीकरण– @ ₹10000/–हे०

क. प्रथम वर्ष – 40 प्रतिशत राशि।

ख. द्वितीय वर्ष– 30 प्रतिशत राशि।

ग. तृतीय वर्ष – 30 प्रतिशत राशि।

ii. जैविक सत्यापन कार्य @ ₹500000/– प्रति 50 हे० कलस्टर।

क. प्रथम वर्ष – 30 प्रतिशत राशि।

ख. द्वितीय वर्ष– 30 प्रतिशत राशि।

ग. तृतीय वर्ष – 40 प्रतिशत राशि।

तद्आलोक में कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

13/9/12

(डा॰ एन विजय लक्ष्मी)

मिशन निदेशक,

राज्य बागवानी मिशन, बिहार।